है। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 व धारा 151 CPC का पेश किया गया जिसकी प्रतिलिपि प्रतिवादी के अधिवक्ता को दिलाई जाकर शामिल पत्रावली किया गया। एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जिसकी प्रतिलिपि वादी के अधिवक्ता को दिलाई जाकर शामिल किया गया एवं तनकीहात जवाब की जगह शामिल पत्रावली की गयी पत्रावली वास्ते लास्ट वादी के दिनांक 8/9/20 को पेश हो।

8/9/20

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित है/पीठासीन अधिकारी अवकाश में होने/कार्य में व्यस्त होने/कोरोना महामारी शन की प्रार्थना से वास्ते लास्ट वादी दिनांक 8/9/20 को पेश हो।

29.9.2020 पत्रावली आज वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तलब की बाद मे वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 212 पहले से निर्णित होना लिखा से अलग है। चूंकि है पूर्व मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है तथा मूल वाद मे वादीगण द्वारा आगे कोई कार्यवाही नही चाहने से आगामी कार्यवाही ड्राफ की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नकार से कम है। 29.9.2020

Withdrawn
29.9.2020

उपखण्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.09.29 18:22:58 IST
Reason: SelfAttested